रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 1990/चैत्र 27, 1912
No. 159] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 1990/CHAITRA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खंड)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1990

सा.का.नि. 448(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के जलभूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 416 (अ) तारीख 8 जून, 1989 में विनिर्दिष्ट भार से अधिक भारी भार के ऐसे यानों के लिए जो इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में अनुज्ञात किया जा सकता है।

2. अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त उपधारा (3) के उपबन्ध उक्त किस्म के यानों को, इस उपान्तर के अधीन लागू होंगे कि ऐसे यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यह प्रविष्टि की जाए कि सकल यान भार और ऐसे यानों की धारियों में से किसी धुरी का रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (3) और (4) में विनिर्दिष्ट वजन से अधिक नहीं है।

अनुसूची

यान का प्रकार	इंजन सं.	चैसिस सं.	प्रचालन का परिक्षेत्र
माहो निदर्शन वेन डायमलर बैंज मूल गति उत्पादक (मोटर ट्रैक्टर टाइप 1635एलएस)	44295010568863	डब्ल्यू डी बी 64557315386957	इस अधिसूचना के उपाबन्ध के अनुसार भारत के बड़े नगर।
ट्रैलर (माइलडनर)	--	टी पी 122610टी	
ट्रैक्टर ट्रैलरट योजन का भार जिसकी सिफारिश की गई है :			
1. अग्रधुरी		--6700 किलोग्राम	
2. पश्च धुरी भार		--11000 किलोग्राम	
3. ट्रैलर पश्चटेंडम धुरी जी एल डब्ल्यू		--20000 किलोग्राम	
4. जी वी डब्ल्यू		--30000 किलोग्राम	
5 समग्र लंबाई		--16 मीटर	
6. समग्र चौड़ाई		--2.5 मीटर	
7. समग्र ऊंचाई		--4.15 मीटर	

निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन :--

--एम ए एच ओ, एक्टीनजसैल स्काफ्ट आफ वेस्ट जर्मनी

2. उपरोक्त शिथिलीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :--

(1) विभिन्न सड़कों पर लोक निर्माण विभाग स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुबद्ध भार संबंधी निबंधनों का पालन किया जाएगा और यान के प्रत्येक बार सड़क पर लाने से पूर्व ऐसे प्राधिकारियों की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जाएगी। सड़क प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक संचलन को निकट से मानीटर करेंगे।

(2) लदे हुए यानों को ऐसे सड़क मार्गों पर सड़क संरचनाओं (पुल और अन्य पार जलसरणी संरचनाओं) से गुजर की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिन्हें राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा वजन ले जाने के लिए असुरक्षित घोषित किया है और परिवाहक को तल स्तर विस्थानों से होकर नदियों नालों से गुजरने का इंतजाम, जैसा लोक निर्माण विभाग द्वारा निशित किया जाए, स्वयं करना होगा।

(3) वे यानों के संचलन के कारण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सड़क और सड़क संरचनाओं को होने वाली सभी नुकसानियों के लिए उत्तरदायी होंगे और वे सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी नुकसानी के लिए दायी होंगे।

(4) यान के छोरों का स्पष्ट रूप से संकेत देने के लिए सभी आवश्यक चेतावनी संकेत जैसे दिन के समय में लाल झंडियां और रात्रि के समय में लाल बत्तियां लगाई जाएंगी।

(5) मार्ग में स्थानीय निकायों और अन्य विभागों में निहित सड़कों और सड़क संरचनाओं पर यान चलाने के लिए परिवाहक द्वारा सम्बद्ध प्राधिकारियों से अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(6) अनुज्ञा तब तक लागू होगी जब तक यान भारत के राजपत्र में प्रकाशित आदेश, तारीख के अनुसार भारत में उपलब्ध है।

3 यान का उपयोग केवल सम्बद्ध राज्य के लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मार्ग पर किया जाएगा, जो राज्य लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन भी होगा जो राज्य सरकार/स्थानीय निकाय, संरचनाओं, सड़कों, पुलों, प्रतियों की सुरक्षा के लिए और सड़क का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें, जिनके लिए राज्य लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों और पुलिस प्राधिकारियों को प्रचालक द्वारा ऐसे हर समय जब प्रचालन किये जाते हैं, सम्यक रूप से सूचित किया जायेगा।

[सं. आर.टी.-11037/2/89-टी.ए.जी.]

बी. शंकरलिंगम, संयुक्त सचिव

अनुसूची

माहो निदर्शन ट्रेन--प्रस्तावित रूट

निदर्शन करने का शहर	राष्ट्रीय राज मार्ग सं. मुख्य सड़क	दूरी कि० मी० में (लगभग) बम्बई से	पिछले पड़ाव स्थल से	यात्रा करने का अनुमानित समय	रात्रि पड़ाव
1	2	3	4	5	6
बम्बई	---	शून्य	शून्य		लीला कैम्पिस्की आई/आई टी मुंबई
थाणे	रा.रा. 3	39	39	1.3	वोल्टास थाणे
नासिक	3	177	138	4.6	नासिक
बड़ोदरा (बड़ौदा)	मुख्य सड़क द्वारा पा.रा. 8 एवं 3 को जोड़ने के लिए	468	330	11	बड़ौदा
अहमदाबाद	रा.रा. 8	574	106	3.53	अहमदाबाद
	रा. रा. 8	764	190	6.3	उदयपुर
	रा.रा. 8	1039	275	9.16	अजमेर
	रा. रा. 8	1178	139	4.6	जयपुर
नई दिल्ली	रा. रा. 8	1487	309	10.3	नई दिल्ली
	रा.रा. 2	1688	201	6.7	आगरा
कानपुर	रा.रा. 2 और 25	2009	321	10.7	कानपुर
लखनऊ	रा.रा. 25	2087	78	2.6	लखनऊ
	25	2388	301	10	झांसी
	25	2488	100	3.3	शिवपुरी
	3	2713	225	7.5	सारंगपुर
भोपाल	रा.रा. 3	2982	269	9	भोपाल
इन्दौर	रा.रा. 3 को 12 से जोड़ने वाली मुख्य सड़क	3123	141	4.7	इन्दौर
		3414	291	9.7	धुई
औरंगाबाद	मुख्य सड़क	3544	130	4.3	औरंगाबाद
अहमदनगर	,,	3651	107	3.5	अहमदनगर
शोलापुर	मुख्य सड़क तथा रा.रा. 9	3856	205	6.8	शोलापुर
हैदराबाद	रा.रा. 9	4081	225	7.8	हैदराबाद
	रा.रा. 9	4352	271	9	विजयवाड़ा
मद्रास	रा.रा. 5	4750	398	13.2	मद्रास
	रा.रा. 45	5035	285	9.5	श्रीरंगम
	रा.रा. 45	5171	136	4.5	मदुरै
	रा.रा. 7	5403	232	7.75	कन्याकुमारी
त्रिवेन्द्रम	रा.रा. 47	5471	68	2.26	त्रिवेन्द्रम
कोचीन	रा.रा. 47	5677	206	6.8	कोचीन
कोयम्बतूर	रा.रा. 47	5854	177	6	कोयम्बतूर
बंगलौर	रा.रा. 47	6079	225	7.5	धरमपुरी
	रा.रा. 7	6217	138	4.6	बंगलौर
बेलगांव	रा. रा. 4	6657	440	14.6	बेलगांव
कोल्हापुर	रा. रा. 4	6760	103	3.43	कोल्हापुर
	रा.रा. 4	6879	119	4	सतारा
पुणे	रा.रा. 4	7023	144	4.8	पुणे
बम्बई	रा.रा. 4	7249	226	7.5	बम्बई

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1990

G.S.R. 448(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that heavier weights than those specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No.S.O.416(E) dated the 8th June, 1989, issued under sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), may be permitted for vehicles of the type specified in Column (1) of the schedule annexed to this Order in the locality specified in the corresponding entry in column (2) of the said schedule;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section (58) of the said Act, the Cnentral Government hereby directs that the provisions of the said sub-section (3) shall apply to the said type of vehicles, subject to the modification that in the certificate of registration of such vehicles there may be entered that gross vehicle weight and the registered axle weight of any of the axles of such vehicles not exceeding the weight specified in column (3) and (4) respectively of the said schedule :—

SCHEDULE

Type of vehicle	Engine number	Chassis number	Locality of operation
Maho Demonstration Van			
Daimler Benz Prime Mover (Motor Tractor Type 1635LS).	44295010468863	WDB64557315385957	Major cities in India as per Annexure to this Notification.
Trailer (Mildner)	—	TP122610T	
Recommended loads for Tractor, Trailer Combination.			
1. Front axle weight		6700 Kgs.	
2. Rear Axle weight		11000 Kgs.	
3. Trailer rear tandem axle GVW		20000 Kgs.	
4. GVW		30000 Kgs.	
5. Overall length		16 mts.	
6. Overall width		2.5 mts.	
7. Overall height		4.15 mts.	

Owned by : MAHO, AKTIENGESELLSCHAFT OF WEST GERMANY

2. The above relaxations is also subject to the conditions that :—

(i) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities will be observed and permission of such Authorities will be obtained before the vehicle is put on the roads.

(ii) The loaded vehicle will not be allowed to pass over road structures (bridges and other cross-drainage structures) on the road net-work which are declared unsafe for passing the load by the State Public Works Department and the transporter will have to make his own arrangements to cross the river/nallas through bed-level diversions, etc; as directed by the Public Works Department.

(iii) They shall be responsible for all damages caused to the road and the road structures either directly ori indirectly due to the movement of the vehicles and they shall be liable for all damages as assessed by the Government/State Government.

(iv) All the necessary warning signals such as red flags in the day time and red lights in the night time shall be provided to indicate the extremeties of tSe vehicles clearly.

(v) Permission for plying their vehicles over roads and road structures vested with the local bodies and other Departments in the route has to be obtained by the transporter from the concerned authorities.

(vi) The permission is applicable as long as the vehicle is available in India as per order dated 17-4-90 published in the Gazette of India.

3. The use of the vehicle will be only with the prior approval of the concerned State PWD/Local Bodies and on the route as may bespecified by the State PWD/Local Bodies, and will also be subject to such conditions as the State Government/Local Bodies may specify for the safety of structures, roads, bridges, culverts and with due regard to safety to all road users, for which the State PWD/Local Bodies and the Police Authorities will be kept duly informed by the operator, every time the operations are effected.

[No.RT-11037/2/89-TAG]

V. SANKARALINGAM. Jt. Secy.

ANNEXURE

MAHO DEMONSTRATION VAN—PROPOSED ROUTE

Demonstration City	National Highway No. /Major Road	Distance in Kms. (approx.)		Approx. Night halts	
		From Bombay	From last demo. site	travelling time (30 km/h)	
1	2	3	4	5	6
Bombay	—	Zero	Zero		Leela Kempinski/ IIT Powai
Thane	NH 3	39	39	1.3	Voltas Thane
Nasik	3	177	138	4.6	Nasik
Vadodara (Baroda)	To join NH 8 & 3 by major road	468	330	11	Baroda
Ahmedabad	NH 8	574	106	3.53	Ahmedabad
	8	064	190	6.3	Udaipur
	8	1039	275	9.16	Ajmer
	8	1178	139	4.6	Jaipur
New Delhi	NH 8	1487	309	10.3	N. Delhi
	2	1688	201	6.7	Agra
Kanpur	2 & 25	2009	321	10.7	Kanpur
Lucknow	NH 25	2087	78	2.6	Lucknow
	25	2388	301	10	Jhansi
	25	2488	100	3.3	Shivpuri
	3	2713	225	7.5	Sarangpur
Bhopal	NH 3	2982	269	9	Bhopal
Indore	Major road connecting NH3 to 12	3123	141	4.7	Indore
	NH 3	3414	291	9.7	Dhue
Aurangabad	Major Road	3544	130	4.3	Aurangabad
Ahmedanagar	,,	3651	107	3.5	Ahmednagar
Sholapur	Major road & NH 9	3856	205	6.8	Sholapur

1		2	3	4	5	6
Hyderabad	NH	9	4081	225	7.5	Hyderabad
		9	4352	271	9	Vijaywada
Madras	NH	5	4750	398	13.2	Madras
		45	5035	285	9.5	Srirangam
		45	5171	136	4.5	Madurai
		7	5403	232	7.75	Kanyakumari
Trivandrum	NH	47	5471	68	2.26	Trivandrum
Cochin		47	5677	206	6.8	Cochin
Coimbatore		47	5864	177	6	Coimbatore
		47	6079	225	7.5	Dharampuri
Bangalore		7	6217	138	4.6	Bangalore
Belgaum	NH	4	6657	440	14.6	Belgaum
Kolhapur		4	6760	103	3.43	Kolhapur
		4	6879	119	4	Satara
Pune		4	7023	144	4.8	Pune
Bombay		4	7249	226	7.5	Bombay

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi 110054, 1990